


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2003]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 2016/श्रावण 20, 1938

No. 2003]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 2016/ SRAVANA 20, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2016

(आयकर)

का.आ. 2680(अ).—चूंकि, आय पर तथा पूंजीगत लाभों पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए, तथा पारस्परिक व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा मॉरीशस की सरकार के बीच एक करार जिस पर 24 अगस्त, 1982 को हस्ताक्षर किए गए थे, के करार को संशोधित करने वाले एक प्रोटोकॉल (जिसे इसके बाद उक्त प्रोटोकॉल कहा गया है), जैसा कि इस अधिसूचना के अनुबंध में दिया गया है, पर मॉरीशस में 10 मई, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे;

और चूंकि, उक्त प्रोटोकॉल 19 जुलाई, 2016 को प्रवृत्त हुआ था, जो कि उक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1 के अनुसार, उक्त प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ अनुबंध के रूप में संलग्न उपर्युक्त प्रोटोकॉल के सभी उपबंध, भारत संघ में कथित प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 9 के अनुरूप लागू किए जाएंगे।

अनुबंध

प्रोटोकॉल

24 अगस्त, 1982 को पोर्ट लुई में हस्ताक्षरित आय पर तथा पूंजीगत लाभों पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए, तथा पारस्परिक व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा मॉरीशस की सरकार के बीच अभिसमय का संशोधनकारी प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार तथा मॉरीशस गणराज्य की सरकार,

24 अगस्त, 1982 को पोर्ट लुई में हस्ताक्षरित आय पर तथा पूंजीगत लाभों पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए, तथा पारस्परिक व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा मॉरीशस की सरकार के बीच अभिसमय (जिसे इसके बाद "अभिसमय" कहा गया है) को संशोधित करने की इच्छा से;

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

अभिसमय के अनुच्छेद 5 (स्थायी संस्थापन) को पैराग्राफ 2 में निम्नलिखित नया उप-पैरा जोड़कर संशोधित किया जायेगा:

“(ज) सेवाएं प्रस्तुत करना, जिसमें इस प्रयोजन हेतु उद्यम में लगे हुए कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के माध्यम से किसी उद्यम की परामर्शी सेवाएं शामिल हैं, परन्तु वहीं जहां उस स्वरूप के क्रियाकलाप किसी 12 महीने की अवधि के भीतर कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि या अवधियों के लिए देश के भीतर जारी रहती हों (उसी अथवा संबद्ध परियोजना हेतु)।”

अनुच्छेद 2

इस अभिसमय के अनुच्छेद 11 (ब्याज) को निम्नलिखित अनुच्छेद से संशोधित किया जाएगा:

(i) पैराग्राफ 2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करके:

“तथापि, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3, 3क और 4 के प्रावधानों के अधीन, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 7.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;”

(ii) पैराग्राफ 3(ग) का विलोपन करके; और

(iii) निम्नानुसार एक नया पैरा 3क जोड़कर:

“किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते वह सदाशयी बैंकिंग कारोबार करने वाले ऐसे बैंक द्वारा प्राप्त और लाभकारी रूप से धारित हो, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है। तथापि, यह छूट तभी लागू होगी, यदि ऐसा ब्याज ऐसे ऋण-दावे से उत्पन्न होता है जो 31 मार्च, 2017 को या उससे पहले मौजूद था।”

अनुच्छेद 3

अभिसमय को अनुच्छेद 12 के बाद निम्नलिखित नए अनुच्छेद को जोड़कर संशोधित किया जाता है:

“अनुच्छेद 12क

तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. तथापि, इस प्रकार की तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, लेकिन यदि तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी दूसरे

संविदाकारी राज्य का निवासी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त “तकनीकी सेवाओं के लिए फीस” पद का अभिप्राय है तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा की गई सेवाओं के प्रावधान सहित कोई प्रबंध-कार्य, या तकनीकी अथवा परामर्शी स्वरूप की सेवाएं करने के प्रतिफल में की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां हैं, परन्तु इसमें इस अभिसमय के अनुच्छेद 14 तथा 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गई अदायगियां शामिल नहीं हैं।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वे ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से सम्बद्ध हैं। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के प्रावधान लागू होंगे।

5. किसी संविदाकारी राज्य में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जब अदाकर्ता स्वयं वह राज्य, एक राजनैतिक उप-प्रभाग, स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो, और ऐसी तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6. जहां, अदा करने वाले और हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के प्रावधान अंतिम रूप से वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में अदायगियों के आधिक्य भाग पर इस अभिसमय के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।”

अनुच्छेद 4

इस अभिसमय के अनुच्छेद 13 (पूंजीगत लाभ) को 1.4.2017 के प्रभाव से निम्नलिखित से संशोधित किया जाएगा:

(i) निम्नानुसार एक नया पैरा 3क और 3ख जोड़कर:

“3क. 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद किसी कंपनी में जो संविदाकारी राज्य की निवासी है, शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।

3ख. तथापि, 1 अप्रैल, 2017 से प्रारंभ और 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के दौरान उत्पन्न इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3क में संदर्भित लाभों पर प्रभावी कर की दर उस कंपनी जिसके शेयरों का हस्तांतरण किया जा रहा है, के निवास के राज्य में ऐसे लाभों पर लागू कर की दर के 50% से अधिक नहीं होगी;” और

(ii) मौजूदा पैराग्राफ 4 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करके:

“4. पैराग्राफ 1, 2, 3 तथा 3क में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है।”

अनुच्छेद 5

अभिसमय के अनुच्छेद 22 (अन्य आय) को पैराग्राफ 2 के बाद निम्नलिखित नया उप-पैरा जोड़कर संशोधित किया जायेगा:

“3. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की मदों, जिन पर इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में चर्चा नहीं की गई है और जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होते हैं, पर उस दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है।”

अनुच्छेद 6

अभिसमय के अनुच्छेद 26 (सूचनाओं या प्रलेख का आदान-प्रदान) को निम्नलिखित अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“अनुच्छेद 26**सूचनाओं का आदान-प्रदान**

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों या उनकी अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के प्रावधानों को अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों के संबंध में घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस संविदाकारी राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों के निर्धारण अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो तथा आपूर्तिकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को प्राधिकृत करते हों।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसी सूचना जिसमें दस्तावेज और उनकी अधिप्रमाणित प्रतियां शामिल हैं की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

(ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक-भेद अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी सूचना का अनुरोध किया गया हो, तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई सूचना प्राप्त करने के लिए अपने सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, भले ही उस दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के प्रावधानों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।”

अनुच्छेद 7

अभिसमय को अनुच्छेद 26 के बाद निम्नलिखित को जोड़कर संशोधित किया जाता है:

“अनुच्छेद 26क

करों के संग्रहण में सहायता

1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।
2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए सभी किस्म और विवरण के करों से है, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस करार अथवा कोई अन्य साधन जिसके लिए संविदाकारी राज्य पक्ष हैं के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली अथवा संरक्षण के संबंध में देय राशि है।
3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है और उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस राजस्व दावे को उस राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा था, के लिए प्रयोज्य इसके कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा वसूल किया जाएगा।
4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। वह दूसरा राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के प्रावधानों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा, मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे राज्य के राजस्व दावे हों, यहां तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।
5. पैराग्राफ 3 और 4 के प्रावधानों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया दावा उस राज्य में किसी समय सीमा के अध्यधीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी।
6. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को केवल उस राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष लाया जाएगा। इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसका अर्थ दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए किसी अधिकार का सृजन करना अथवा प्रदान करना लगाया जाएगा।
7. जहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा संबंधित राजस्व दावे को वसूल करने और प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रेषित करने से पहले संबंधित राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा –

- (क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य का कोई राजस्व दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता; अथवा
- (ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य के राजस्व दावे जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है, प्रथमोल्लिखित राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित राज्य अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा या फिर हटा लेगा।

8. इस अनुच्छेद के किसी भी प्रावधान का अर्थ दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा:

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;
- (ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;
- (घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हो।”

अनुच्छेद 8

अभिसमय को अनुच्छेद 27 के बाद निम्नलिखित को जोड़कर संशोधित किया जाता है:

“अनुच्छेद 27क

लाभों का परिसीमन

1. किसी संविदाकारी राज्य का निवासी इस अभिसमय के अनुच्छेद 13(3ख) के लाभों का हकदार नहीं होगा यदि इसके कार्य ऐसे तरीके से प्रबंधित थे जिसका मुख्य उद्देश्य इस अभिसमय के अनुच्छेद 13(3ख) का लाभ उठाना था।
2. कोई छद्म कंपनी जो खुद को किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने का दावा करती है, वह इस अभिसमय के अनुच्छेद 13(3ख) के लाभों की हकदार नहीं होगी। छद्म कंपनी, निवासी की परिभाषा में आने वाली कोई भी विधिक सत्ता है, जिसकी उस संविदाकारी राज्य में नगण्य अथवा शून्य कारोबारी गतिविधि हो अथवा जिसने कोई वास्तविक और निरंतर कारोबारी गतिविधियां न की हों।
3. संविदाकारी राज्य का कोई भी निवासी एक छद्म कंपनी माना जाएगा, यदि उस संविदाकारी राज्य में उसके प्रचालन पर व्यय, उद्भूत लाभों की तिथि से तुरंत पहले के 12 माह की अवधि में सम्बंधित संविदाकारी राज्य में, जैसा भी मामला हो, 1,500,000 डॉलर के रूप में अथवा 2,700,000 भारतीय रुपए से कम हुआ हो।
4. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को छद्म कंपनी नहीं माना जाता यदि:
 - (क) वह किसी संविदाकारी राज्य के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो; या
 - (ख) यदि उस संविदाकारी राज्य में उसके प्रचालन पर व्यय, उद्भूत लाभों की तिथि से तुरंत पहले के 12 माह की अवधि में सम्बंधित संविदाकारी राज्य में, जैसा भी मामला हो, 1,500,000 डॉलर के रूप में अथवा 2,700,000 भारतीय रुपए के बराबर अथवा उससे अधिक हुआ हो।

स्पष्टीकरण: विधिक सत्ताओं के मामले, जिनके प्रामाणिक कारोबारी कार्यकलाप नहीं हैं, इस अभिसमय के अनुच्छेद 27क में शामिल होंगे।

अनुच्छेद 9

1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस करार को लागू करने के लिए अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में दूसरे को अधिसूचित करेंगे। यह प्रोटोकॉल इन अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 1, 2, 3, 5 और 8 के प्रावधान प्रभावी होंगे:
 - (क) भारत के मामले में, उस आय के संबंध में जो इस प्रोटोकॉल को प्रवृत्त होने की तारीख से अगले 1 अप्रैल को अथवा इसके बाद आरंभ होने वाले किसी वित्त वर्ष में उत्पन्न हुए हों;
 - (ख) मॉरीशस के मामले में, उस आय के संबंध में जो इस प्रोटोकॉल को प्रवृत्त होने की तारीख से अगले 1 जुलाई को अथवा इसके बाद आरंभ होने वाले किसी वित्त वर्ष में उत्पन्न हुए हों;
3. इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 4 के प्रावधान दोनों ही संविदाकारी राज्यों में निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा परवर्ती निर्धारण वर्ष के लिए प्रभावी होंगे।
4. इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 6 एवं 7 के प्रावधान बिना इस बात पर ध्यान दिए कि वे कर किस तारीख को लगाए गए या किस कराधीन वर्ष से संबंधित हैं, इस प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

मॉरीशस में 10 मई, 2016 तारीख को अंग्रेजी और हिन्दी में दो प्रतियों में निष्पादित, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक। पाठों में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार के लिए	मॉरीशस गणराज्य की सरकार के लिए
अनुप कुमार मुद्गल भारतीय उच्चायुक्त	धर्म देव मनराज वित्त सचिव

[अधिसूचना सं. 68/2016/फा. सं. 500/3/2012-एफटीडी-II]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2016

(INCOME-TAX)

S.O. 2680(E).—Whereas, a Protocol amending the agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Mauritius, signed on 24th August, 1982 for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains, and for the encouragement of mutual trade and investment, (hereinafter referred to as the said Protocol) as set out in the Annexure to this notification, was signed at Mauritius on the 10th day of May, 2016;

And whereas, the said Protocol entered into force on the 19th day of July, 2016, being the date of the later of the notifications of the completion of the procedures as required by the respective laws for entry into force of the said Protocol, in accordance with paragraph 1 of Article 9 of the said Protocol;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of said Protocol, as annexed hereto as Annexure, shall be given effect to in the Union of India, in accordance with Article 9 of the said Protocol.

ANNEXURE

PROTOCOL

PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF MAURITIUS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL GAINS, AND FOR THE ENCOURAGEMENT OF MUTUAL TRADE AND INVESTMENT, SIGNED AT PORT LOUIS ON 24TH AUGUST 1982

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Mauritius,

Desiring to amend the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Mauritius for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains, and for the encouragement of mutual trade and investment, signed at Port Louis on 24th August, 1982 (hereinafter referred to as “the Convention”);

Have agreed as follows:

Article 1

Article 5 (Permanent Establishment) of the Convention shall be amended by inserting in paragraph 2 the following new sub-paragraph:

“(j) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or connected project) for a period or periods aggregating more than 90 days within any 12-month period.”

Article 2

Article 11 (Interest) of this Convention shall be amended by:

(i) replacing paragraph 2 with the following:

“However, subject to provisions of paragraphs 3, 3A and 4 of this Article, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 7.5 per cent of the gross amount of the interest.”;

(ii) deleting the paragraph 3(c); and

(iii) inserting a new paragraph 3A as follows:

“Interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by any bank resident of the other Contracting State carrying on *bona fide* banking business. However, this exemption shall apply only if such interest arises from debt-claims existing on or before 31st March, 2017.”

Article 3

The Convention is amended by adding after Article 12 the following new Article:

“Article 12A

FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the fees for technical services is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the fees for technical services.

3. The term “fees for technical services” as used in the Article means payments of any kind, other than those mentioned in Articles 14 and 15 of this Convention as consideration for managerial or technical or consultancy services, including the provision of services of technical or other personnel.

4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the fees for technical services being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority, or a resident of that State. Where, however, the person paying the fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the fees for technical services was incurred, and such fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the fees for technical services exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 4

Article 13 (Capital Gains) of the Convention shall be amended with effect from 1.4.2017, by:

- (i) inserting - new paragraphs 3A and 3B as follows:

“3A. Gains from the alienation of shares acquired on or after 1st April 2017 in a company which is resident of a Contracting State may be taxed in that State.

3B. However, the tax rate on the gains referred to in paragraph 3A of this Article and arising during the period beginning on 1st April, 2017 and ending on 31st March, 2019 shall not exceed 50% of the tax rate applicable on such gains in the State of residence of the company whose shares are being alienated”; and

- (ii) replacing the existing paragraph 4 with the following:

“4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 3A shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.”

Article 5

Article 22 (Other Income) of the Convention shall be amended by inserting after paragraph 2 the following new paragraph:

“3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.”

Article 6

Article 26 (Exchange of Information or Document) of the Convention shall be replaced by the following Article:

“Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies thereof) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.
2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Contracting State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorizes such use.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - (b) to supply information including documents and certified copies thereof which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
 - (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”

Article 7

The Convention is amended by adding after Article 26 the following new Article:

“Article 26A

ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Article 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.
2. The term “revenue claim” as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political sub-divisions or local

authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other State.

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provision of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned State or is owned by a person who has a right to prevent its collection.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.

6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall only be brought before the courts or administrative bodies of that State. Nothing in this Article shall be construed as creating or providing any right to such proceedings before any court or administrative body of the other Contracting State.

7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned State, the relevant revenue claim ceases to be –

(a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned State that is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, or

(b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned State in respect of which that State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection,

the competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent authority of the other State of that fact and, at the option of the other State, the first-mentioned State shall either suspend or withdraw its request.

8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);

(c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;

(d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.”

Article 8

The Convention is amended by adding after Article 27 the following new Article:

“Article 27A**LIMITATION OF BENEFITS**

1. A resident of a Contracting State shall not be entitled to the benefits of Article 13(3B) of this Convention if its affairs were arranged with the primary purpose to take advantage of the benefits in Article 13(3B) of this Convention.
2. A shell/conduit company that claims it is a resident of a Contracting State shall not be entitled to the benefits of Article 13(3B) of this Convention. A shell/ conduit company is any legal entity falling within the definition of resident with negligible or nil business operations or with no real and continuous business activities carried out in that Contracting State.
3. A resident of a Contracting State is deemed to be a shell/conduit company if its expenditure on operations in that Contracting State is less than Mauritian Rs.1,500,000 or Indian Rs. 2,700,000 in the respective Contracting State as the case may be, in the immediately preceding period of 12 months from the date the gains arise.
4. A resident of a Contracting State is deemed not to be a shell/conduit company if:
 - (a) it is listed on a recognized stock exchange of the Contracting State; or
 - (b) its expenditure on operations in that Contracting State is equal to or more than Mauritian Rs.1,500,000 or Indian Rs.2,700,000 in the respective Contracting State as the case may be, in the immediately preceding period of 12 months from the date the gains arise.

Explanation: The cases of legal entities not having bona fide business activities shall be covered by Article 27A (1) of the Convention.

Article 9

1. Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Protocol. This Protocol shall enter into force on the date of the later of these notifications.
2. The provisions of Article 1, 2, 3, 5 and 8 of the Protocol shall have effect:
 - (a) in the case of India, in respect of income derived in any fiscal year beginning or after 1 April next following the date on which the Protocol enters into force;
 - (b) in the case of Mauritius, in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after 1 July next following the date on which the Protocol enters into force;
3. The provisions of Article 4 of this Protocol shall have effect in both Contracting States for assessment year 2018-19 and subsequent assessment years.
4. The provisions of Article 6 and 7 of this Protocol shall have effect from the date of entry into force of the Protocol, without regard to the date on which the taxes are levied or the taxable years to which the taxes relate.

In witness whereof the undersigned, duly authorized, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Mauritius this 10th day of May 2016, in the English and Hindi languages, both texts equally authentic. In the case of divergent interpretation of the texts, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA**

**Anup Kumar Mudgal
High Commissioner of India**

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF MAURITIUS**

**Dharam Dev Manraj
Financial Secretary**

[Notification No. 68/2016/F. No. 500/3/2012-FTD-II]

RAJAT BANSAL, Jt. Secy.